International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Sandeep Kumar
M.Phil., NET and Ph.D.
Department of Public Administration
Maharshi Dayanand University, Rohtak-124001 (Haryana)

शोध–आलेख सार

भारत 1947 में स्वतन्त्र हुआ था उस समय राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी तथा ग्रामीण विकास उनमें से एक गम्भीर थी। अतः ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीतियाँ, योजनाएं एवं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संगठन स्थापित किए गए। इस दिशा में ग्रामीण विकास के प्रयोग एवं सफर में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है। इसी तरह पंचायती राज की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से योजना बनाकर ग्रामीण विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल किया जाता है, परन्तु आमतौर पर यह माना जाता है कि पंचायती राज नेतृत्व के कम शिक्षित होने के कारण सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के बावजूद भी ग्रामीण विकास बाधित होता है। इसी कारण पंचायती राज नेतृत्व के लिये प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तथा इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की स्थापना की गई है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास संस्थाएँ, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण, पंचायती राज प्रतिनिधि

भूमिका : भारत गाँव का देश है तथा देश की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है। इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तक तक देश की सही अर्थो में प्रगति सम्भव नहीं है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था, ''मैंने इस बात को असंख्य बार दोहराया है कि भारत अपने चन्द शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गाँव में बसा हैं,

लेकिन हम शहरवासियों का ख्याल है कि भारत शहरों में ही है और गांवों का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए हुआ है। हमने कभी यह सोचने की तकलीफ नहीं उठाई कि उन गरीबों को पेट भरने जितना अन्न और शरीर ढकने जितना कपड़ा मिलता है या नहीं और धूप तथा वर्षा से बचने के लिए सिर पर छप्पर है या नहीं।''[1]

ग्रामीण विकास, ग्रामीण सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि की एक अवधारणा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर में बदलाव लाकर, उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। यद्यपि ग्रामीण विकास की अवधारणा के सम्बन्ध में वैचारिक भिन्नता पाई जाती है, परन्तु ग्रामीण विकास को एक ऐसा तरीका माना गया है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। ग्रामीण विकास का स्तर, स्व–सहायता, जन सहयोग तथा उपलब्ध संसाधनों की सहायता पर आधारित होता है।[2] पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कदम है। जिसके माध्यम से योजना बनाकर ग्रामीण विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल किया जाता है। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि पंचायती राज नेतृत्व कम शिक्षित होने के कारण सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से परिचित नहीं होते जिसके कारण ग्रामीण विकास बाधित होता है। अतः इसी कारण पंचायती राज नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तथा इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं की स्थापना की गई है।[3]

राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण के प्रयास : राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की सन् 1965 में ग्रामीण विकास क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण के लिए स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, कार्य–अनुसंधान एवं परामर्शी प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों तथा अन्य उपेक्षित समूहों के लोगों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण में योगदान करने वाले पहलुओं की जाँच तथा विश्लेषण

करना एवं प्रशिक्षण, कार्यशालाओं तथा सेमिनारों के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी व गैर– सरकारी लोगों की जानकारी, कौशल व व्यवहार में सुधार लाकर ग्रामीण विकास प्रयासों में सहायता करना रहा है।[4] यह संस्थान ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के लिए एक राष्ट्र स्तरीय स्वायत संगठन है। जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है, राष्ट्रीय विकास संस्थान के दो क्षेत्रीय केन्द्र, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहटी में है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी और पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र पटना में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। वास्तव में ये दोनों केन्द्र भारत में क्रमशः पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्रों की जरूरतों एवं समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गतिविधियाँ सम्पन्न करवाने के लिए बनाये गये थे।[5]

इसी प्रकार राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ग्रामीण विकास कर्मियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर ग्राम निगरानी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के संस्थान है, जिनका मुख्य उद्देश्य राज्य और जिला स्तरों पर ग्रामीण विकास कर्मीयों और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना और अभिवृत्ति में सुधार लाना है।[6]

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान : हरियाणा प्रदेश में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की व्यावस्था 1952 में ही राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास केन्द्र, नीलोखेड़ी के साथ प्रारम्भ हो गई थी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1990 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI ऑफ 1860 एण्ड एज् अमेन्डिड बाइ पंजाब (अमेन्डमेंट एक्ट 1975) के अन्तर्गत की गई है तथा समिति पंजीकरण नं० 544 (1991–92) के अनुसार संस्था का नाम हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान रखा गया जो कि हरियाणा राज्य के नीलोखेड़ी में स्थापित किया गया है। वर्ष 2010 में इस

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

संस्थान का नाम बदलकर राजीव गाँधी पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान रखा गया है।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग की एक स्वायत संस्था के रूप में कार्य करता है। वर्तमान समय में राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं को 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त सहयोग प्राप्त है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयों पर विशेषज्ञों और विद्वानों के व्याख्यान भी आयोजन करता है।[7] यह संस्थान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अपने कार्यक्रम आयोजित करता है।

1. निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, बैकर्स एवं अन्य ग्रामीण विकास से सम्बन्धित लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
2. सेमीनारों, गोष्ठियों एवं वरिष्ठ विकास प्रबन्धकों की कार्यशालाओं का आयोजन करवाना।
3. ग्रामीण विकास कार्यत्त्मों के उपक्रमों को बढ़ावा देना एवं अन्य ग्रामीण विकास अभिकरणों के शोध कार्य में समन्वय स्थापित करना।
4. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नियोजन, निष्पादन एवं समस्याओं के समाधान के लिए विश्लेषण एवं प्रस्ताव करना।
5. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन करवाना।[8]

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज प्रतिनिधियों के क्षमता संवर्धन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की ग्रामीण योजनाओं के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि पंचायती राज नेतृत्व को प्रशिक्षित करके सशक्त बनाया जा सके। इसके साथ–साथ ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय–समय पर संस्थान के द्वारा करवाये जाते हैं।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के विभिन्न विषयों, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा एवं वित्त प्रबन्धन इत्यादि पर क्षेत्र आधारित शोध अध्ययन भी करवाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास की समस्याओं का पता लगाना तथा समस्याओं से निपटने के लिए रणनीति सुझाना है ताकि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके और ये अध्ययन भारत सरकार, नीति आयोग एवं हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों इत्यादि के द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं।[9]

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की संरचना : संस्थान के मेमोरड्स ऑफ एशोसियन के नियम (III) के अनुसार संस्थान एक 22 सदस्यीय (क) संस्था द्वारा संचालित किया जाता है तथा ये सदस्य अपने पदानुसार स्वतः संस्थान के सदस्य माने जाते हैं[10] तथा नियम (IV) के अनुसार संस्था के सभी सदस्यों की हस्ताक्षरित सूची उनके व्यवसाय एवं पते के साथ संस्थान के पास रखी गई है, परन्तु किसी कारणवश संस्था का कोई सदस्य अपने पते में बदलाव करता है तो ऐसी अवस्था में वह अपने नए पते के बारे में संस्थान के निदेशक को सूचित करेगा अन्यथा सूची में दिए गए पहले पते को ही वैध माना जाता है।[11]

कार्यालय का कार्यकाल : मेमोरड्स ऑफ ऐसोशियेशन के नियम (V)[12] के अनुसार सभी सदस्य दो वर्ष के लिए नामांकित किए जाते है, परन्तु उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक अवधि पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी सदस्य दूसरी अवधि के लिए अयोग्य करार नहीं किया जा सकता। नियम (V)[13] के अनुसार कोई भी सदस्य संस्थान के निदेशक को पत्र लिखकर अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है, परन्तु संस्था के अध्यक्ष की स्वीकृति उपरान्त ही इस्तीफा मान्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य दिवालिया, मंदबुद्धि या अपराधी साबित हो जाए तो ऐसी व्यवस्था में संस्थान के सदस्य की सदस्यता स्थगित मानी जाएगी।[14]

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

संस्थान के पदाधिकारी : मेमोरड्म ऑफ ऐसोशियेशन के नियम (VI)[15] के अनुसार संस्था के निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किए गए है –

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. कार्यकारिणी समिति का सभापति
4. संस्थान का निदेशक एवं सदस्य सचिव तथा
5. कोई अन्य सदस्य जो कार्यकारिणी समिति समय–समय पर नियुक्त कर सकती है।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का प्रशासन पदसोपन

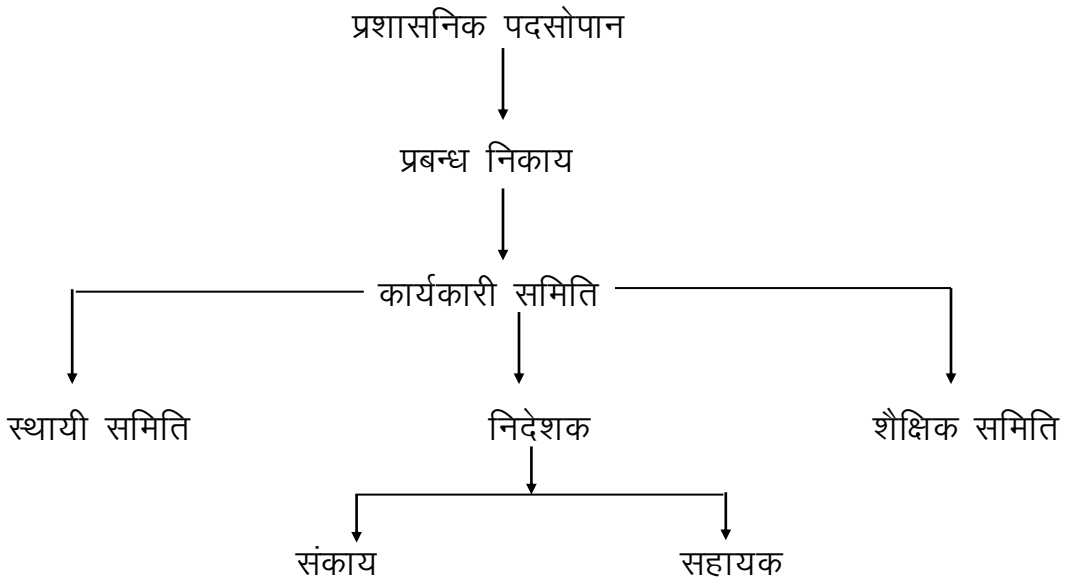

प्रबन्ध निकाय : मेमोरड्म ऑफ ऐसोशियेशन के नियम (VI) के अनुसार हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की देखरेख प्रबन्ध निकाय द्वारा की जाती है तथा नियम (VII) के उप–नियम (i)[16] के अनुसार प्रबन्ध निकाय की स्थापना में संस्था के सभी सदस्य

सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में संस्था के सभी 22 सदस्य प्रबन्ध निकाय के सदस्य बनाए गए है।

अध्यक्ष : मेमोरड्स ऑफ ऐसोशियेशन ने नियम (iii) के उप–नियम (I)[17] के अनुसार हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत मंत्री को प्रबन्ध निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा नियम (iii) के उपनियम (2)[18] के अनुसार हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के वितायुक्त एवं सचिव को प्रबन्ध निकाय का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

प्रबन्ध निकाय के कार्य व शक्तियाँ : मेमोरड्स ऑफ ऐसोशियेशन के नियम (VIII)[19] में प्रबन्ध निकाय के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है –

1. संस्थान के वार्षिक बजट को स्वीकृत करना।
2. संस्थान के वार्षिक लेखें प्राप्त करना व उन्हें स्वीकृति प्रदान करना।
3. संस्थान के शोध कार्यों के मुख्य विषयों को स्वीकृति प्रदान करना।
4. संस्थान में चलने वाले पाठ्यक्रमों की प्रकृति हेतु नीति–निर्देशों को स्वीकृति देना।
5. उपाधि/प्रमाण पत्र देने हेतु विश्वविद्यालय/शोध संस्थानों से सम्बन्ध स्थापित करना।
6. पिछले वर्ष के लेखा परिचित लेखे पर विचार करना।
7. संस्थान के नियमों में जुड़ाव या संशोधन करना।
8. बजट प्राकल्लन के निर्माण व स्वीकृति, खर्चे को स्वीकृति, अनुदानों का नियोजन, इकरारनामें का निर्माण व कार्यान्वयन करना, संस्थान के अनुदानों को निवेश करना, छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति के प्रबन्ध हेतु कार्यप्रणाली एवं शर्तों, प्रतिनियुक्ति, मदद हेतु अनुदान, प्रशिक्षण एवं शोध योजना एवं परियोजना, प्रबन्धन के नियम संस्थान की सेवाओं हेतु अन्य शर्तों के लिए उप–नियम बनाना।

9. संस्थान के किसी भी कार्य के कार्यान्वयन हेतु या संस्थान के किसी भी विषय वस्तु के संबंध में परामर्श देने के लिए समिति गठित करना एवं
10. कोई अन्य कार्य जो संस्थान के लिए आवश्यक हो।

कार्यकारी समिति : मेमोरड्म ऑफ ऐसोशियेशन के नियम (IX) के अनुसार प्रबन्ध निकाय के सामान्य नियन्त्रण एवं दिशा–निर्देशानुसार कार्यकारी समिति प्रबन्ध व प्रशासन सहित संस्थान के उद्देश्य के हेतु विस्तृत योजनाओं को बनाने व लागू करने के लिए उतरदायी है।[20] कार्यकारी समिति में कुल दस सदस्य (ख) है जिनमें एक सभाापति होता है।

कार्यकारी समिति के कार्य एवं शक्तियां : मेमोरड्म ऑफ एसोशियेशन के नियम के उप–नियम (I, II, III)[21] के अर्न्तगत कार्यकारी समिति को निम्नलिखित कार्य व शक्तियां प्रदान की गई है :–

1. कार्यकारी समिति प्रबन्ध निकाय के अधिकार एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्थान के नियमों एवं उप–नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थान के कार्यों का प्रबन्धन एवं प्रशासन करती है। संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था की सभी की सभी चल–अचल सम्पत्ति कार्यकारी समिति के पास है।
2. उपरोक्त उप–विषय से पक्षपात किये बिना कार्यकारी समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं –

(i) संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विस्तृत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाना व क्रियान्वित करना।

(ii) संकाय के पक्षों को बनाना, नियुक्ति एवं नियन्त्रित करना जिनकी नियुक्ति किसी अन्य प्रावधान के अधीन न हुई हो।

(iii) संस्थान के लिये अनुदान प्राप्त करना व संरक्षण करना एवं संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

(iv) संस्थान के आधार पर समझौते करना।

(v) संस्थान के आधार पर सभी कानूनी कार्यवाहियों का निर्हवन करना।

(vi) स्थायी एवं शैक्षिक समिति सहित समितियों को नियुक्त करना तथा आपातकाल की स्थितियों में कार्यकारी समिति के सभापति को ऐसी समितियों को नियुक्त करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है।

(vii) किसी भी वृत्ति, अनुदान, अभिदान एवं दान का प्रबन्ध करना, परन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है यदि वह कार्य संस्थान के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में अवरोध पैदा न करता हो।

(viii) संस्थान के वार्षिक बजट का निर्माण करना एवं प्रबन्ध निकाय से स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना।

(ix) प्रबन्ध निकाय के विचार–विमर्श के लिए संस्थान की वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा तैयार करना।

(x) बजट में स्वीकृत किये हुए प्रावधानों के आधार पर खर्च करना।

(xi) छात्रवृत्ति, अधि–छात्रवृत्ति के प्रबन्ध के लिए कार्यप्रणाली एवं शर्तों, प्रतिनियुक्ति, मदद् हेतु अनुदान, प्रशिक्षण एवं शोध योजना एवं परियोजना, प्रबन्धन के नियम, संस्थान की संकाय की सेवाओं हेतु अन्य शर्तों के लिए उप–नियम बनाना।

(xii) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों से सम्बन्धित विषयों पर संस्थान की तरफ से प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को मनोनीत करना। यदि कोई संगोष्ठी या कार्यशाला भारत से बाहर है तो हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग की स्वीकृति द्वारा इन्हें मनोनीत करना।

3. कार्यकारी समिति प्रस्ताव के द्वारा स्थायी समिति के सभापति, शैक्षिक समिति के समिति के सभापति या संस्थान के निदेशक या संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को संस्थान के कार्यों को करने के लिए अपनी शक्तियाँ प्रदत्त कर सकती है। यदि आवश्यक हो तो ऐसी परिस्थितियों के अनुसार स्थायी समिति,

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

शैक्षिक समिति के सभापति या संस्थान के अन्य अधिकारी को जो शक्तियां प्रदत्त की गई है उनके द्वारा किये गए कार्यों समिति की बैठक में प्रमाणित किया जा सकता है।

स्थायी समिति : मेमोरड्म ऑफ एसोशियेशन के नियम (XI)[22] में प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी समिति अपने द्वारा प्रदत्त किये हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों में से एक या अधिक स्थायी समितियाँ गठित कर सकती है। संस्थान का निदेशक इन समितियों का संयोजक होता है एवं इन समितियों की शक्तियाँ कार्यकारी समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक स्थायी समिति को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यों को बांटने की शक्तियाँ प्राप्त है। स्थायी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष निर्धारित किया गया है। यद्यपि शोध के दौरान पाया गया कि इस प्रकार की समितियाँ कभी भी गठित नहीं की गई है।

स्थायी समिति के कार्य : सर्वप्रथम स्थायी समितियाँ उन सभी प्रस्तावों एवं योजनाओं पर विचार–विमर्श करेगी। जिन उद्देश्यों के लिए इन समितियों को नियुक्त किया गया है उसके उपरान्त ही उन योजनाओं एवं प्रस्तावों पर कार्यकारी समिति को सलाह देगी।[23]

शैक्षिक समिति : मेमोरड्म ऑफ एसोशियेशन के नियम (XIII)[24] में शैक्षिक समिति समिति एवं इसके कार्यों का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार कार्यकारी समिति शैक्षिक समिति को नियुक्त कर सकती है तथा इसके कार्य एवं संरचना कार्यकारी समिति द्वारा समय –समय पर निर्धारित किए जाते है। शैक्षिक समिति का कार्य शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों (जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्श इत्यादि) पर कार्यकारी समिति की सहायता करना है तथा इसका कार्यकाल भी एक वर्ष निश्चित किया गया है। यद्यपि जैसा कि शोध के दौरान पाया गया है कि इस प्रकार की समिति कभी भी गठित नहीं की गई।

निदेशक एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कार्य : मेमोरड्म ऑफ एसोशियेशन के नियम (VI)[25] के अनुसार कार्यकारी समिति संस्थान के निदेशक की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई शर्तों एवं नियमों के आधार पर तथा हरियाणा सरकार से विचार–विमर्श उपरान्त तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए करती है परन्तु उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अन्य शब्दों में एक अवधि पूर्ण करने के उपरान्त निदेशक को दूसरी अवधि के लिए अयोग्य करार नहीं किया जा सकता।

मेमोरड्म ऑफ एसोशियेशन के नियम (XIV) के उप–नियम (I, II, III)[26] में संस्थान के निदेशक की निम्नलिखित कार्य व शक्तियों का वर्णन किया गया है –

1. संस्थान के कार्यों के सही प्रबन्धन की जिम्मेवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संस्थान के निदेशक की होती है एवं वह कार्यकारी समिति के निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
2. निदेशक को संस्थान में होने वाली सभी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करके उनका पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।
3. संस्थान के सभी अधिकारियों एवं संकाय को निश्चित कार्य देना एवं संस्था के नियमों व उप–नियमों के पालन के लिए पर्यवेक्षण एवं अनुशासनात्मक नियन्त्रण रखने की जिम्मेदारी भी निदेशक को प्रदान की गई है।

संस्थान का संरचनात्मक ढांचा : संस्थान का अपना एक संरचनात्मक ढांचा है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

शैक्षिक, प्रशासनिक व प्रशिक्षण केन्द्र : संस्थान के पास एक आधुनिक तरीके से बना शैक्षिक एवं प्रशासनिक खण्ड है। जिसका निर्माण कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है प्रशासनिक खण्ड में एक वातानुकूलित हाल है जो कि लोक सम्बोधन व्यवस्था, मल्टी–मीडिया एवं ऑडियो–विडियो विजुअल एडज् से सुसज्जित है। इस हॉल को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (जैसे – संगोष्ठियों,

सेमीनारों, कार्यशालाओं इत्यादि) के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और जिसमें एक साथ 100 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। संस्थान के पास लैपटाप, एल०सी०डी० व प्रोजेक्टर इत्यादि की भी व्यवस्था है, जिससे आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण गतिविधियों एवं शोधकार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते है।

पुस्तकालय : प्रशासनिक खण्ड में एक खुले व सुव्यवस्थित पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्य व प्रकाशित पत्रिकाएं, विभिन्न हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्र इत्यादि रखे गए है जो कि विशेष रूप से प्रशिक्षकों, प्रशिक्षुओं एवं शोधार्थियों के लिए लाभप्रद है। इस पुस्तकालय में लगभग 3500 पुस्तकें है जो अलग–अलग विषयों पंचायती राज, प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, कम्प्यूटर, विज्ञान, साहित्य व आंकड़ों इत्यादि पर आधारित है। पुस्तकालय में 100 से अधिक प्रशिक्षण व ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विडियों फिल्म भी उपलब्ध है।

कम्प्यूटर लैब : संस्थान के पास एक वातानुकूलित कम्प्यूटर लैब है जो कि कम्प्यूटर, प्रिंटर्स व बिजली केन्द्र से लैस है। कम्प्यूटर के माध्यम से संस्थान द्वारा उच्च, मध्यम व ग्रामीण विकास के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

आवासीय सुविधा : संस्थान द्वारा दो आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है। एक स्थान पर निदेशक एवं प्रोफेसरों के लिए 9 भवनों का निर्माण किया गया है तथा दूसरे स्थान पर 10 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें संस्थान के अन्य कर्मचारियों की आवासीय सुविधा का प्रबन्ध किया गया है।

हॉस्टल सुविधा : संस्थान स्तर पर करवाए जाने वाले ज्यादातर प्रशिक्षण कार्यक्रम आवासीय होते है। अतः प्रशिक्षण कायक्रमों के प्रतिभागियों के ठहरने के लिए संस्थान द्वारा एक सुन्दर हॉस्टल का निर्माण किया गया है। जिसमें एक साथ 45 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। हॉस्टल में ही मैस की व्यवस्था भी की गई है

जिसमें प्रतिभागियों के खाने का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। हॉस्टल में समय–समय पर नयापन किया जाता है ताकि इसे और आरामदायक बनाया जा सके।

अतिथि–ग्रह : संस्थान में हॉस्टल के पास ही एक सुन्दर वातानुकूलित अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। जिसमें तीन कमरे व एक हाल की व्यवस्था है तथा विशेष अतिथियों का ठहरने का प्रबन्ध इस अतिथि गृह में किया जाता है।

सारांश : अंततः कहा जा सकता है कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वायतः संस्था है जिसकी स्थापना समिति अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है। प्रस्तुत शोध में संस्थान के संगठन का नियमों व उप–नियमों के आधार पर वर्णन किया गया है। परन्तु प्रस्तुत शोध के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान ने कार्यकाल एक लम्बी अवधि दौरान प्रस्तुत नियमों के आधार पर ही अपने कार्यों को करने में सफल रहा है। हालॉकि प्रबन्ध निकाय की बैठकें आमतौर पर समयानुसार नहीं हो पा रही है जिसका कारण अध्यक्ष पद का राजनीतिक होना माना जा सकता है। लेकिन कार्यकारी समिति की बैठके प्रत्येक वर्ष औसतन लगभग दो के बराबर रही है तथा आवश्यकतानुसार संस्थान के निदेशक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लिखित में कभी भी कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने की मांग कर सकता है तथा इस अधिकार का प्रयोग निदेशक करता आ रहा है।

टिप्पणीयाँ :

(क) संस्थान की संस्था एवं प्रबन्ध निकाय के सदस्यों की सूची :

1. मंत्री, विकास एवं पंचायत, हरियाणा – अध्यक्ष
2. वितायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उपाध्यक्ष विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़
3. वितायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, योजना विभाग चण्डीगढ़ – सदस्य
4. वितायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग, चण्डीगढ़ – सदस्य
5. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय – सदस्य
6. संयुक्त सचिव कम निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य

7. संयुक्त सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
8. निदेशक, कृषि हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
9. निदेशक, पशुपालन हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
10. निदेशक, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं – हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
11. निदेशक, शिक्षा (स्कूल) हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
12. निदेशक, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुडगांवा – सदस्य
13. निदेशक सामान्य, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद – सदस्य
14. मुख्य अभियन्ता, पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) हरियाणा – चण्डीगढ़ – सदस्य
15. मुख्य अभियन्ता, पी०डब्ल्यू०डी० (पी०एच०) हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
16. निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
17. निदेशक, महिला एवं बालक कल्याण हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
18. निदेशक, विस्तार शिक्षा सी०सी०एस० हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार – सदस्य
19. डीन, सामाजिक विज्ञान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र – सदस्य
20. प्रिंसिपल, मुख्य वन सुधार हरियाणा, चण्डीगढ़ – सदस्य
21. उपायुक्त, करनाल – सदस्य
22. निदेशक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी – सदस्य–सचिव

(ख) कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची :

1. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग – सभापति
2. वितायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि – सदस्य
3. संयुक्त सचिव एवं निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा – सदस्य
4. संयुक्त सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास, हरियाणा – सदस्य
5. निदेशक, संस्थागत वित्त, हरियाणा – सदस्य
6. निदेशक, कृषि, हरियाणा – सदस्य
7. निदेशक, पशुपालन, हरियाणा – सदस्य
8. निदेशक, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान – सदस्य
9. उपायुक्त, करनाल – सदस्य
10. निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास, संस्थान, नीलोखेड़ी – सदस्य – सचीव

सन्दर्भ सूची :

[1] मांडोत, मिश्र लाल (2014), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ० 5
[2] यादव, राम जी (2009), भारत में ग्रामीण विकास, रोहिणी प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, पृ० 12
[3] सिंह, सुरत (2010), पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, पंचायती राज समाचार, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी, दिसम्बर 2010, पृ० 5
[4] भारत सरकार (2010), ग्रामीण विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, नई दिल्ली, पृ० 77
[5] उपरोक्त

[6] उपरोक्त, पृ० 85
[7] सिंह, सुरत (2010), पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, पंचायती राज समाचार, उपरोक्त, पृ० 5
[8] एन्वल रिपोर्ट (2008–09), उपरोक्त, पृ० 9
[9] उपरोक्त, पृ० 15
[10] रूल (III), मेमोरड्म ऑफ एसोशियऐशन, (एक्ट XXI ऑफ 1860) नं० 544 ऑफ 1991–92, हरियाणा इन्सट्टीच्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पृ० 1–2
[11] उपरोक्त, रूल (IV), पृ० 3
[12] उपरोक्त, रूल V (1)
[13] उपरोक्त, रूल V (2)
[14] उपरोक्त, रूल V (3)
[15] उपरोक्त, रूल V (1, 2, 3, 4, 5)
[16] उपरोक्त, रूल VII (i)
[17] उपरोक्त, रूल III (1), पृ० 1
[18] उपरोक्त, रूल III (2)
[19] उपरोक्त, रूल VIII, पृ० 5–6
[20] उपरोक्त, रूल IX, पृ० 6
[21] उपरोक्त, रूल X (I, II, III), पृ० 8–9
[22] उपरोक्त, रूल (XI)
[23] उपरोक्त, रूल (XII)
[24] उपरोक्त, रूल (XIII)
[25] उपरोक्त, रूल (VI), पृ० 4
[26] उपरोक्त, रूल XIV (I, II, III), पृ० 10